

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 633]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSA 10, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

सं. 33/2013-सीमा शुल्क(एडीडी)

सा.का.नि. 811(अ).-अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित “फॉस्फोरिक एसिड, तकनीकी ग्रेड या खाद्य ग्रेड” (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 280920 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/1010/2012-डीजीएडी, तारीख 10 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1, तारीख 10 सितम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 17/2008-सीमा शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 96(अ) तारीख 19 फरवरी, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1, तारीख 25 सितम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 45/2012-सीमा शुल्क, तारीख 25 सितम्बर, 2012, सा.का.नि. 716(अ) तारीख के द्वारा प्रकाशित, के द्वारा प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी।

और जबकि संबद्ध माल के संबद्ध देश से उदगमित अथवा निर्यातित आयातों पर प्रतिपादन शुल्क की समीक्षा के विषय में अभिहित प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं0 15/1010/2012-डीजीएडी, तारीख 8 नवम्बर, 2013 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड 1 तारीख 8 नवम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश कर रही है।

(ii) संबद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर निरंतर बने हुए हैं

(iii) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संभावना है कि सम्बद्ध देश सम्बद्ध वस्तु का भारत को विपथन पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर करेंगे।

और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देश में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के सभी आयातों पर, निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) क धारा 9क की उपधारा (1) और (5) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्भूत, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विनिर्देशन उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जोकि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उपसारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, के बराबर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्र. सं.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्भूत का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	280920	फॉस्फोरिक एसिड	तकनीकी ग्रेड या खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	249.38	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2.	280920	फॉस्फोरिक एसिड	तकनीकी ग्रेड या खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर अन्य कोई	कोई	कोई	249.38	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3.	280920	फॉस्फोरिक एसिड	तकनीकी ग्रेड या खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित)	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर अन्य कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	249.38	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगा (यदि उसका खंडन, अधिकांत और संशोधन न किया जाये), यह प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा। स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं.-354/87/2007-टीआरयू(भाग-1)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2013

No.33/2013-Customs (ADD)

G.S.R. 811 (E). -Whereas, the designated authority vide notification No. 15/1010/2012-DGAD, dated the 10th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th September, 2012, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Phosphoric Acid-Technical Grade and Food Grade(including Industrial Grade), falling under Sub-heading 280920 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2008-Customs, dated the 19th February, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.96 (E), dated the 19th February, 2008, read with notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue)No. 45/2012-Customs (ADD), dated the 25th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 716 (E), dated the 25th September, 2012;

And whereas the designated authority, in its final findings in Sunset Review *vide* notification No. 15/1010/2012-DGAD, dated the 8th November , 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th November, 2013, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods are entering the Indian market at dumped and injurious prices;
- (ii) the imports of the subject goods from the subject country continued to be at dumped price in spite of existing anti-dumping duties
- (iii) in the event of cessation of the existing anti-dumping duty, there is likelihood that the subject country will divert the subject goods to India at dumped and injurious price.

and has recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on modified rates on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings and recommendation of the designated authority, hereby imposes anti- dumping duty on the goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, specification of which is specified in column (4) of the said Table, falling under Sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2),originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), exported from the country specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producer specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the aforesaid Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	280920	Phosphoric Acid	Technical Grade and Food Grade (including industrial Grade)	People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	249.38	MT	US Dollar
2.	280920	Phosphoric Acid	Technical Grade and Food Grade (including industrial Grade)	People's Republic of China	Any other than People's Republic of China	Any	Any	249.38	MT	US Dollar
3	280920	Phosphoric Acid	Technical Grade and Food Grade (including industrial Grade)	Any other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	249.38	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended and superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/87/2007-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

सं. 34/2013- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.812 (अ).— जहां कि नामित प्राधिकारी ने, अधिसूचना फा.सं. 15/5/2012- डीजीएडी, दिनांक 16 अगस्त, 2012, जिसे 16 अगस्त, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित किया गया था के तहत तथा सीमा शुल्क टैरिफ (अभिज्ञान, आकलन तथा पाठित वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क का अधिग्रहण एवं क्षति निर्धारण नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) की दृष्टि से इस बात की समीक्षा शुरू की है कि क्या वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी प्रकार के रिकॉर्डेबल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क (डीवीडी) प्रतिपादन शुल्क को, जो कि इन पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 98/2010- सीमा शुल्क, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 जिसे सा.का.नि. 783 (अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा आरोपित किया गया है, को आगे जारी रखा

जाए या और क्या इन पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन करना जरूरी है, और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) की दृष्टि से प्रतिपाटन शुल्क की प्रमात्रा में बढोत्तरी की सिफारिश की है;

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 98/2010- सीमा शुल्क, दिनांक 28 सितम्बर, 2010, जिसे सा.का.नि. 783 (अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

सारणी

क्र.स.	टैरिफ शीर्ष	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	वियतनाम	वियतनाम	कोई	कोई	73.01	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
2	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	वियतनाम	कोई भी देश, उस देश को छोड़कर जिनपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है।	कोई	कोई	73.01	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
3	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	कोई भी देश, उस देश को छोड़कर जिनपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है।	वियतनाम	कोई	कोई	73.01	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
4	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	थाईलैंड	थाईलैंड	कोई	कोई	25.98	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
5	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	थाईलैंड	कोई भी देश थाईलैंड को छोड़कर तथा ऐसे अन्य देशों को छोड़कर जो अधिसूचना सं. 8/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जनवरी, 2009 के ड्यूटी टेबल के कॉलम 5 के अंतर्गत क्रम सं. 6 के तहत प्रतिपाटन शुल्क के तहत आते हैं।	कोई	कोई	25.98	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
6	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	कोई भी देश, उस देश को छोड़कर जिनपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है।	थाईलैंड	कोई	कोई	25.98	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
7	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	मलेशिया	मलेशिया	कोई	कोई	35.92	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
8	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	मलेशिया	कोई भी देश मलेशिया को छोड़कर तथा ऐसे अन्य देशों को छोड़कर जो अधिसूचना सं. 8/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जनवरी, 2009 के ड्यूटी टेबल के कॉलम 5 के अंतर्गत क्रम सं. 9 के तहत प्रतिपाटन शुल्क के तहत आते हैं।	कोई	कोई	35.92	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर
9	8523	डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डबल	कोई भी देश, उस देश को छोड़कर जिनपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है।	मलेशिया	कोई	कोई	35.92	प्रति 1000 नग	अमरीकी डालर

[फा. सं. 354/244/2009- टीआरयू (भाग-1)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 98/2010- सीमा शुल्क, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को सा.का.नि. 783 (अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2010, को भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में प्रकाशित किया गया था

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2013

No. 34/ 2013-Customs (ADD)

G.S.R. 812(E). -Whereas, the designated authority vide notification F.No. 15/5/2012-DGAD, dated the 16th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 16th August, 2012, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty, and whether the quantum of anti-dumping duty is required to be modified on imports of Recordable Digital Versatile Disc (DVD) of all kinds originating in or exported from Vietnam, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 98/2010-Customs, dated the 28th September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 783(E), dated the 28th September, 2010, and has recommended enhancement in the quantum of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18, 20 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 98/2010-Customs, dated the 28th September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 783(E), dated the 28th September, 2010, namely:-

In the said notification, for the TABLE and the entries relating thereto, the following Table and entries shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No	Tariff heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Produce r	Expor ter	Amou nt	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Vietnam	Vietnam	Any	Any	73.01	Per 1000 pieces	US Dollar
2	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Vietnam	Any country other than countries attracting anti dumping duty	Any	Any	73.01	Per 1000 pieces	US Dollar
3	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Any country other than countries attracting antidumping duty	Vietnam	Any	Any	73.01	Per 1000 pieces	US Dollar
4	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Thailand	Thailand	Any	Any	25.98	Per 1000 pieces	US Dollar
5	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Thailand	Any country other than Thailand and other than the country already subject to anti dumping duty	Any	Any	25.98	Per 1000 pieces	US Dollar

				vide S.No. 6 under column 5 of the duty table in Notification No. 8/2009- Customs dated the 22 nd January, 2009					
6	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Any country other than countries attracting antidumping duty	Thailand	Any	Any	25.98	Per 1000 pieces	US Dollar
7	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Malaysia	Malaysia	Any	Any	35.92	Per 1000 pieces	US Dollar
8	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Malaysia	Any country other than Malaysia and other than the country already subject to anti dumping duty vide S.No. 9 under column 5 of the duty table in Notification No. 8/2009-Customs dated the 22 nd January, 2009	Any	Any	35.92	Per 1000 pieces	US Dollar
9	8523	Digital Versatile Disc Recordable	Any country other than countries attracting antidumping duty	Malaysia	Any	Any	35.92	Per 1000 pieces	US Dollar"

[F. No. 354/244/2009-TRU(Pt-1)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 98/2010-Cus, dated 28.9.2010, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 783(E), dated the 28th September, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

सं. 16/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 813 (अ)-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उत्पाद शुल्केय माल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3304 के अंतर्गत आते हैं, जो कि खुदरा पैकेज में बिकता है, एवं जिनपर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4ए का प्रावधान लागू नहीं होता है, के टैरिफ मूल्य का, का निर्धारण करती है जो कि ऐसे माल के घोषित खुदरा विक्रय मूल्य घटा ऐसे माल के खुदरा विक्रय मूल्य की शमन राशि, जिसकी घोषणा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), 24 दिसम्बर, 2008 [सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2008] में की गई है, के समतुल्य है।

स्पष्टीकरण-1 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "खुदरा बिक्री मूल्य" का अभिप्राय ऐसे अधिकतम मूल्य से है जिसपर उत्पाद शुल्केय वस्तुओं को पैकेज्ड रूप में अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है और इसमें सभी प्रकार के कर, स्थानीय या अन्य

प्रकार के भाड़ा, परिवहन प्रभार डिलरों को दिये जाने वाले कमीशन तथा अन्य प्रभार जो कि विज्ञापन, डिलेवरी पैकिंग फारवर्डिंग तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों में आते हैं, शामिल हैं और मूल्य ही ऐसी बिक्री का एक मात्र प्रतिफल होता है।

स्पष्टीकरण-2 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "खुदरा पैकेज" का अभिप्राय ऐसे पैकेज से होता है जिसमें वे उत्पाद शुल्केय वस्तुएं आती हैं जोकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3304 के अंतर्गत आते हैं और जिनको इनमें निहित माल के उपभोग के उद्देश्य से अंतिम उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के रूप में बेचा जाना होता है और इनमें आयातित पैकेज भी शामिल हैं:

बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ 'अंतिम उपभोक्ता' में औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ता को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. 345/2/2013-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2013

No.16/2013-Central Excise (N.T.)

G.S.R.813(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby fixes tariff value in respect of the excisable goods, falling under heading 3304 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), in retail packages, and in respect of which the provisions of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) do not apply, equivalent to the retail sale price declared on such goods less such amount of abatement from such retail sale price as specified for such goods in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.49/2008-Central Excise (N.T.), dated the 24th December, 2008 *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 24th December, 2008.

Explanation 1.— For the purposes of this notification 'retail sale price' means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

Explanation 2.— For the purposes of this notification, 'retail package' means a package which is intended for retail sale to the ultimate consumer for the purpose of consumption of the goods contained therein and includes an imported package:

Provided that for the purposes of this *Explanation*, the expression 'ultimate consumer' shall not include industrial or institutional consumers.

[F. No. 345/2/2013-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.